No.A. 43020/81/2014-RTI
Government of India/ Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya
******

New Delhi, Dated 22nd August, 2014.

ORDER

Subject: - First Appeal under the RTI Act, 2005 filed by Shri Raju Badham.

******

Whereas Shri Raju Badham, vide his application dated 15/2/2014 (received in this Ministry on 27/02/2014) had sought information from the Ministry of Home Affairs under the RTI Act, 2005.

2. Whereas as per RTI Act, 2005 and Right to Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, a request for obtaining information under sub section (1) of section 6 of RTI Act, 2005, shall be accompanied by an application fee of Rupees Ten either by way of cash against proper receipt or by Demand Draft or Bankers Cheque or Indian Postal Order payable to the Accounts Officer of the Public Authority from where information is sought.

3. Whereas the applicant had remitted the fee by way of Non-Judicial paper which is not a valid mode of payment of fee under the Act. Hence, the application was returned to the applicant along with the original Non-Judicial paper by the CPIO vide his communication dated 5th March, 2014.

4. Whereas Shri Raju Badham has not submitted any RTI application further with fee in proper order. Therefore filing of 1st appeal does not arise. The communication of the applicant is accordingly disposed of.

22/8/14
(Satpal Chauhan)
Joint Secretary & Appellate Authority
Ph. No.23093178

Shri Raju Badham,
Physical College Road
Near Kalimata Mandir
Sivapuri- 473551 (Madhya Pradesh)

Copy to: Section Officer(IT Cell), MHA for uploading of RTI application, appeal and reply under the concerned Appellate Authority with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act-Information under 4(1)(b) of the Act.

नईदिल्ली ।

C.R. No.........
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Section/North Block

विषयः— सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के स्वंयसेवकों को 26 जनवरी एवं 15 अगस्त 1962—63 के राष्ट्रीय पर्वो पर परेड में शामिल करने हेतु निर्णय लिये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने की कृपा करें । इस हेतु नियमानुसार धनराशि भी देय होगी ।

संलग्नः— स्टाम्प रू.10/—

भवदीय
राजू बाथम
(राजू बाथम)
फिजीकल कॉलेज रोड
कालीमाता मंदिर के पास
शिवपुरी म.प्र.—473551

Fee classed

Sr. M

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

48AA 594862

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

सूचना के अधिकार हेतु उपयोग ।

आर टी आई मामला/समयबद्ध

CASE ISSUE
RTI SECTION

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 5 मार्च 2014

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ राजू बाथम द्वारा मांगी गई सूचना

****

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 15/02/2014 के आवेदन का संदर्भ लें जो दिनांक 27/02/2014 को इस मंत्रालय में/(........................) से अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियमावली के अनुसार; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुरोध के साथ दस रूपए का आवेदन शुल्क, समुचित रसीद के जरिए नगद रूप में अथवा उस लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में लगा होना चाहिए जिससे सूचना मांगी जा रही है।

2. आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन में निम्नलिखित कमियां देखी गई हैं:-

(i) 10/- रूपए का शुल्क नहीं भेजा गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) श्रेणी के आवेदकों को छोड़कर, सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।

✓ (ii) शुल्क का भुगतान/प्रेषण ~~न्यायालय शुल्क स्टाम्प~~/गैर-न्यायिक पेपर/~~एकाउन्ट पेयी चेक/पोस्टेज स्टाम्प(ओं)~~ के रूप में किया गया है जो अधिनियम के तहत शुल्क के भुगतान का वैध तरीका नहीं है।

(iii) ..../-रूपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर भेजा गया है, जो अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित शुल्क नहीं है।

(iv) भेजा गया डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर सही प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" को देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, आपका आर टी आई आवेदन, 10/- रुपए के ~~भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक~~/गैर-न्यायिक पेपर/~~न्यायालयी शुल्क स्टाम्प~~ (संख्या ....) (48AA 594862) के साथ वापस किया जाता है।

संलग्नक : यथोपरि

ISSUED
07 MAR 2014
गृह मंत्रालय ... /MHA (RTI)
... /RTI

वी.के. राजन
(वी.के. राजन)
उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ राजू बाथम,
फिजीकल कॉलेज रोड
काली माता मंदिर के पास
शिवपुरी - 473551
मध्य प्रदेश।

Dy. No. 169/Appeal/RTI/2014 ~~Dy. No. 4613/RTI/2014~~
20/8/14 ~~14/8/14~~

~~दिनांक~~ - 17-07-2014

1st Appeal

प्रति,

अपीलीय लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय गृह सचिव,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

5651/S.P.

विषय :- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत स्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में।
संदर्भ :- अधोहस्ताक्षरकर्ता का पत्र दिनांक 15 फरवरी 2014 ।

विषयांतर्गत मेरे द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से नियमानुसार 10 रूपये स्टांप के साथ संलग्न आवेदन में वर्णित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही गईं थीं जो आज तक अप्राप्त हैं कृपया नियमानुसार संलग्न आवेदन में चाहे अनुसार सत्यापित दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजू बाथम)
फिजीकल कन्ट्रोल के पास,
कालीमाता मंदिर के सामने,
जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
पिन कोड - 473 551

JS(A)

DS(E)

US RTI

SO(RTI)
12/8

Reply

दि० 15/2/14

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी महोदय,
गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक,
नईदिल्ली ।

विषयः— सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को 26 जनवरी एवं 15 अगस्त 1962—63 के राष्ट्रीय पर्वों पर परेड में शामिल करने हेतु निर्णय लिये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने की कृपा करें । इस हेतु नियमानुसार धनराशि भी देय होगी ।

संलग्न स्टाम्प रू.10/

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(राजू बाथम)
फिजीकल कॉलेज रोड
कालीमाता मंदिर के पास
शिवपुरी म.प्र.—473551